न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
42 / 2014 / वाद पत्र	03.06.2014	22.07.2019

उनवान

1. फूलचन्द पिता भुवानीबक्ष ढोली नि0 साडी तहसील गंगरार जिला चित्तोड़गढ़

– वादी

बनाम

1. हीरा पिता छीतर जाट निवासी अमरपुरा सेवनी तहसील शाहपुरा
2. तहसीलदार शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् तरमीम किये जाने नक्शा

उपस्थिति – 1. श्री कन्हैयालाल धाकड़ :– अभिभाषक – वादी
2 श्री जयन्त ओझा :– अभिभाषक – प्रतिवादी

निर्णय

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :– वादी ने वादपत्र बाबत् तरमीम किये जाने नक्शा विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन है किया कि ग्राम अमरपुरा मदनपुरा सेवनी पटवार हल्का मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में वादी के खातेदारी अधिकार की साबिक आराजी नम्बर 450 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 445 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। शाहपुरा तहसील में सेटलमेन्ट कार्य चला जिसमें नये आराजी नम्बर 753 रकबा 0.87 है0, 754 रकबा 0.18 है0, 755 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1. 17 हेक्टेयर बनाये है। सेटलमेन्ट के पश्चात् जो नम्बर बने एवं नक्शा बनाया गया उसमें सेटलमेन्ट वालों ने वादी की आराजी के क्षेत्रफल को कम करते हुये प्रतिवादी नम्बर 1 की आराजी के क्षेत्रफल में बढा दिया जिससे नये नक्शे एवं पुराने नक्शे में भिन्नता आ गई, जबकि मौके पर आज भी वादी अपने रकबे अनुसार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को दिनांक 11.05. 2014 को जब प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी करने हेतु हल्का पटवारी एवं गिरदावर को बुलवाया और नक्शा देखने पर उक्त नक्शे में गलत तरमीम की जानकारी हुई। अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्ध नक्शा तरमीम की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि सेटलमेन्ट वालों ने पुराने नक्शे के अनुसार नया नक्शा तरमीम नही कर फेर बदल कर दिया है इस लिए पुराने नक्शे को आधार बनाते हुये नये नक्शे में तरमीम कराया जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। दिनांक 28.07.2014 को प्रतिवादी नम्बर 2 को पैरोकार सरकार उपस्थित हुये एवं दिनांक 16.09.2014 को प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से अभिभाषक श्री जयन्त ओझा ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। प्रकरण जवाब दावा प्रतिवादीगण के नियत किया गया। दिनांक 29.02.2016 को प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से क्रोस सूट पेश किया गया जिसकी नकल अभिभाषक वादी को दी जाकर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 2019

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रकरण क्रोस सूट के जवाब हेतु नियत किया गया। राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान दिनांक 26.05.2017 को पेरोकार सरकार द्वारा प्रकरण का बिन्दुवार जवाब पेश किया जिसमें बताया कि साबिक आराजी नम्बर 450 रकबा 3 बीघा 9 बीस्वा, 445 रकबा 1 बीघा 4 बीस्वा किता 2 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा वादी के खाते में विक्रय से दर्ज हुई है। सेटलमेन्ट के बाद आराजी नम्बर 753 रकबा 0.87 है0, 754 रकबा 0.18 है0, 755 रकबा 0.12 है0 किता 3 रकबा 1.17 हैक्टेयर बने है, जो सही है। आराजी नम्बर 753 रकबा 0.87 है0 के नक्शे व पुराने आराजी नम्बर 450 रकबा 3 बीघा 9 बीस्वा के नक्शे में 0.05 हैक्टेयर का अन्तर है। दिनांक 21.02.2018 को क्रोस सूट का जवाब अभिभाषक वादी द्वारा पेश किया गया जिसकी नकल प्रतिवादी नम्बर 1 के अभिभाषक को दी गई। प्रकरण कायमी तनकियात के नियत किया। दिनांक 26.06.2019 को अभिभाषक वादी द्वारा उपस्थित होकर बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। बहस में बताया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी नम्बर 450 रकबा 3 बीघा 9 बीस्वा , 445 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा ग्राम अमरपुरा–मदनपुरा में स्थित थी। भू–प्रबन्ध के बाद नये नम्बर 753 रकबा 0.87 है0, 754 रकबा 0.18 है0, 755 रकबा 0.12 है0 कुल किता 3 रकबा 1.17 हे0 बने है। साबिक के मुकाबले हाल रकबा बराबर है। किन्तु हाल नम्बर 753 रकबा 0.87 है0 के नक्शे मे 0.05 हैक्टेयर कम कर दिया गया है। जिससे नक्शा छोटा हो गया है। अतः साबिक के मुकाबले हाल नक्शे में तरमीम करवाई जावें। बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे वादपत्र की पुष्टि होती है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीए स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 1 के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम अमरपुरा मदनपुरा पटवार हल्का मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 450 रकबा 3 बीघा 9 बीस्वा जिसके हाल नम्बर 753 रकबा 0.87 हैक्टेयर बने है। पुराने नक्शे अनुसार हाल नक्शे में वादी के तरमीम किये जाने आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं,
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाडा)

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख ....22.... माह ....7.... सन् ....2019....

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

ईजलास श्री महावीर प्रसाद नायक RAS

श्री फूलचन्द S/o भुवानीबक्श ढोली नि. साडी तह० गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ — वादी

बनाम श्री 1- हीरा S/o दीतर जाट नि.- अमरपुरा सेवनी तह० शाहपुरा
2- तहसीलदार शाहपुरा
— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-89 RTA

मुकदमा नम्बर 42 सन् 14 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.......... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :- वाके ग्राम अमरपुरा • मदनपुरा प० [illegible] तहसील शाहपुरा में स्थित साबिक आ० नं. 450 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा जिसके हाल नं. 253 रकबा 0.87 है [illegible] पुराने नक्शे अनुसार हाल नक्शे में वादी के तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत् मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 22 माह 7 सन् 2019

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)